उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन)
संख्या :– 1449/सू0एवंज0सं0वि0(इले0मी0विज्ञा0)–223/2017
लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) के अन्तर्गत आमंत्रित ई–निविदाओं द्वारा प्रोडक्शन हाऊसों के इम्पैनल्मेंट प्रक्रिया के क्रम में ई0 निविदा पत्रांक–717/सू0एवंज0सं0वि0(इले0मी0विज्ञा0)–223/2017 दिनांक 08 जुलाई 2021 तथा पत्रांक–867/सू0एवंज0सं0वि0(इले0मी0विज्ञा0)–223/2017 दिनांक 11 अगस्त 2021 (शुद्धिपत्र) द्वारा आमंत्रित की गई थी। जिसके क्रम में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 19 अगस्त, 2021 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के समक्ष खोला गया।

परीक्षणोंपरान्त आपकी फर्म को तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया जिसकी सूची कार्यालय आदेश संख्या–1413/सू0एवंज0सं0वि0 (इले0मी0विज्ञा0)–223/2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 द्वारा ई–टेण्डर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। उक्त अर्ह फर्मों द्वारा निविदा शर्त के अन्तर्गत धनराशि रूपए 05.00 लाख (रूपए पॉच लाख मात्र) सिक्योरिटी मनी का एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा जो कि "निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ" के पक्ष में जमा किया जाना है।

अतः कृपया उक्त एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी सिक्योरिटी मनी के रूप में सूचना विभाग में आदेश अपलोड होने के दूसरे दिन से पॉच कार्य दिवसों के अन्दर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कक्ष संख्या 205 में भौतिक रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगाः–

(1) उक्त एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी अनुरोध पत्र (Covering Letter) के साथ जमा किया जाये, जिसमें एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी का सम्पूर्ण विवरण, फर्म के स्वामी/प्रोपराइटर का नाम, फर्म का नाम, पता, मोबाइल नं0 अवश्य लिखा हो।

(2) एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी के पीछे भी उक्त सूचना का उल्लेख भी अवश्य किया जाए।

(3) उक्त एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी की न्यूनतम वैधता 03 साल (जनवरी, 2025 तक) होनी आवश्यक होगी।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/12
(शिशिर)
सूचना निदेशक।